रजिस्ट्री सं० डी० — 221 REGISTERED NO. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022022-233627
CG-DL-E-19022022-233627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 2—अनुभाग 1क
PART II–Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, सोमवार, 18 अक्तूबर, 2021/13 आश्विन, 1943 (शक) [खंड LVII
No. 3] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASHVIN 13, 1943 (SAKA) [VOL. LVII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2021/13 आश्विन, 1943 (शक)

दि कांस्टीट्यूशन (वन हंडरेड एंड फिफ्थ् अमेंडमैंट) ऐक्ट, 2021 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है और यह भारत का संविधान के अनुच्छेद 394क के अधीन उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, OCTOBER 18, 2021/ASHVIN 13, 1943 *(Saka)*

The following translation in Hindi of the Constitution (One Hundred and Fifth Amendment) Act, 2021 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under article 394A of the Constitution of India:—

संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021

[18 अगस्त, 2021]

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अनुच्छेद 338ख का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 338ख के खंड (9) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस खंड की कोई बात अनुच्छेद 342क के खंड (3) के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होगी ।"।

अनुच्छेद 342क का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 342क में,—

(क) खंड (1) में, "सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए," शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के प्रयोजनों के लिए," शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—खंड (1) और खंड (2) के प्रयोजनों के लिए, "केंद्रीय सूची" अभिव्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा और उसके लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की तैयार की गई और रखी गई सूची अभिप्रेत है ।

(3) खंड (1) और खंड (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, विधि द्वारा, अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकेगा और रख सकेगा, जिसमें प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकेंगी ।'।

अनुच्छेद 366 का संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (26ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(26ग) "सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों" से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन ऐसा समझा गया है ।'।

राम नाथ कोविंद,
राष्ट्रपति ।

डॉ0 रीटा वशिष्ट,
सचिव, भारत सरकार ।

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—2093GI(S3)—19-02-2022.